

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal II Miscellaneous Bail Application No. 4280/2026

Aryan S/o Jagmohan, Aged About 25 Years, R/o Baniya Mohalla,
Near Bus Stand Malarna Dungar, Ps Malarna Dungar At Present
Ganesh Nagar B, Sawai Madhopur, Ps Man Town, District
Sawaimadhopur (Raj.) (At Present Confined In Central Jail,
Gangapur City)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Shiv Raj Chauhan
For Respondent(s)	: Mr. A.K.Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय प्रार्थना-पत्र पुलिस थाना-उदई मोड़, जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318 (4), 319(2), 61(2) बी.एन.एस. व धारा 66 (डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.2.2026 को निरस्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.2.2026 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में अब अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने अपना खाता अन्य सहअभियुक्त अमनदीप को साईबर ठगी के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें 1.60 लाख रुपये की राशि उक्त ठगी के सम्बन्ध में प्राप्त होना पाया गया है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वह दिनांक 25.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में

चल रहा है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त ने अन्य अभियुक्त अमनदीप के साथ मिलकर साईबर ठगी का अपराध कारित किया है। उनके विरुद्ध चार शिकायतें साईबर पोर्टल पर दर्ज है। वर्तमान समय में साईबर ठगी के अपराध दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। गंभीर अपराध है। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.2.2026 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में अब अन्वेषण पूर्ण किया जाकर प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त पर अभियोग है कि उसने अपना खाता अन्य सहअभियुक्त अमनदीप को साईबर ठगी के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें 1.60 लाख रुपये की राशि उक्त ठगी के सम्बन्ध में प्राप्त होना पाया गया है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। वह दिनांक 25.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J